

दिनांक 19 फरवरी, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि बैहामुडा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची


भूमि का वर्णन:-


- | | |
|---------------|-------------|
| 1. जिला- | रायगढ |
| 2. तहसील- | घरघोडा |
| 3. नगर/ग्राम- | बडेगुमडा |
| 4. क्षेत्रफल- | 0.5.756 हे० |

खसरा नंबर	रकबा (हे०में)	खसरा नंबर	रकबा (हे०में)
737 / 1	0.049	709	0.849
737 / 2	0.049	716 / 3	0.504
734 / 2	0.324	716 / 4	0.504
717	0.445	715	0.845
716 / 1	0.504	714	0.490
716 / 2	0.504	711	0.689
कुल खसरा नंबर 12		कुल रकबा 5.756 हे०	

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) घरघोडा


(यशवंत कुमार)
कलेक्टर, रायगढ
एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

